राजस्थान–सरकार

न्यायालय आरबीट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2018 फोरलेन

उनवान

1. मांगू उर्फ मांगी लाल पिता गणेश रेगर, निवासी चोटियास तहसील आसीन्द/बदनोर जिला भीलवाड़ा	बनाम	1. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 111 आदर्शनगर, गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 अजमेर 2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाडा
——प्रार्थी		——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड पत्रावली/एन.एच. 148 डी/अधि0 क्रमांक 1707 दिनांक 17.06.2013/दिनांक 18.04.2016

उपस्थितः—
1. श्री दूधाराम कुमावत – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री दिनेश चन्द्र बापना –विपक्षी सं. 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 01.08 .2023

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चोटियास पटवार हल्का दाडवट जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की भूमि आराजी खसरा नं. 1619 किस्म चाही द्वितीय रकबा 0.1765 है0, 1620 किस्म चाही द्वितीय रकबा 0.0189 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 डी भीम से गुलाबपुरा (आसीन्द सेक्शन) के कि.मी. 11.100 से 14.350 और 19.100 से 46.700 एवं 53.300 से 54.750 तक दो/चार लेन सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की गई। उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी ने अनार, नींबू, केर, अमरूद आदि फलो का बगीचा लगा रखा था लेकिन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिग्रहण कर देने से प्रार्थी की आजीविका का साधन हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित निर्माण संरचना फलदार पौधों/वृक्षों की कीमत मात्र 79,000/—रूपये ही आंकलन की गई है, जो अत्यधिक कम है। स्वयं राम किशोर मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान विभाग भीलवाड़ा एवं डॉ० बी.जी. छीपा, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, भीलवाड़ा द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेश क्रमांक/भूमि अवाप्ति/2015/660 दिनांक 27.04.2015 की पालना में दिनांक 06.05.2015 को प्रार्थी के बगीचे का निरीक्षण कर 13,19,300/— रूपये की कीमत आंकी गई।

प्राथी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में लिखित बहस पेश की गयी। विपक्षी का जव एवं अधिनस्थ न्यायालय से रेकॉर्ड प्राप्त होने के बाद प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सु गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चोटियास पटवार हल्का दड़ावट जिला भीलवाड़ा प्रार्थी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की भूमि किस्म चाही द्वितीय भूमि राष्ट्रीय राजमा संख्या 148डी भीम से गुलाबपुरा सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की गई जिस पर प्रार्थी ने बगीच लगा रखा था। उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित निर्माण संरचना फलदार पौधों/वृक्षों क कीमत मात्र 79,000/–रूपये ही आंकलन की गई है, जो अत्यधिक कम है। प्रार्थी के बगीच का सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, भीलवाड़ा द्वारा निरीक्षण कर दिनांक 06.06.2015 को पौधों की कुल कीमत 13,19,300/– रूपये आंकी गई, इसके बावजूद भी सक्षम प्राधिकारी ने मात्र 79,000/– रूपये मुआवजा राशि बांबत् अवार्ड पारित कर दिया जो विधि अनुसार नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड निरस्त फरमाया जाकर 13,19,300/– रूपये एवं उस पर अवाप्ति की दिनांक से ताअदायगी 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करने हेतु विपक्षीगण को आदेशित किया जावें।

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता ने बहस में बताया कि सक्षम प्राधिकारी ने विधिवत मुआवजा निर्धारित किया हैं, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। प्रार्थी ने जिस अनुतोष की प्रार्थना की गई, वह असत्य एवं आधारहीन होने से प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने क्रमांक/एन.एच.148 डी./अधि.सू.क्रमांक 1707 दि. 17.06.2013 से प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि पर 79 पौधों का प्रति पौधा 1,000/– रूपये आकलन करते हुए 79,000/– रूपये का भुगतान करने का अवार्ड जारी किया। उक्त जारी अवार्ड में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा प्रार्थी की भूमि पर स्थित पौधों का तहसीलदार, आसीन्द/बदनोर से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख डीएलसी दर एवं मौके की जांच रिपोर्ट के आधार पर पौधों का प्रतिकर निर्धारित किया जाना अंकित किया गया है, किन्तु इस न्यायालय की पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे तहसीलदार आसीन्द/बदनोर द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रति पौधा 1000/– निर्धारित किया हो।

पत्रावली में पौधों की मौका निरीक्षण संबंधी 2 भिन्न–भिन्न रिपोर्ट उपलब्ध है। इनमें से प्रथम रिपोर्ट अनुसार सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के आदेश क्रमांक/भूमि अवाप्ति/2015/660 दिनांक 27.04.2015 की पालना में एन.एच. 148–डी निर्माण में अवाप्ताधीन भूमि में फलदार पौधों का मूल्यांकन श्री रामकिशोर मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान, भीलवाड़ा एवं डॉ. बी.जी. छीपा, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 06.05.2015 को अवलोकन किया गया जिसमें अनार पौधों की संख्या 79, बगीचा स्थापना वर्ष 2009 का कुल मुआवजा 13,19,300/– रूपये भुगतान करने की शिफारिश की गई है।

इसी प्रकार पत्रावली में उपलब्ध द्वितीय मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की अवाप्ताधीन भूमि में फलदार पौधों का मूल्यांकन 1. दिनेश सोलंकी, कृषि अधिकारी उद्यान, कार्यालय सहायक निदेशक, उद्यान, भीलवाड़ा, 2. डॉ. सुचित्रा दाधीच, सह आचार्य उद्यान, कृषि महाविद्यालय, भीलवाड़ा, 3. श्री रामनिवास मीणा, तहसीलदार आसीन्द, 4. श्री गोविन्द सिंह, पटवारी प0ह0 दड़ावट, 5. श्री गोपाल लाल शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक उद्यान, भीलवाड़ा एवं 6. श्री रणवीर सिंह तंवर, कृषि पर्यवेक्षक उद्यान, आसीन्द द्वारा दिनांक 20.09.2017 को अवलोकन किया गया जिसमें अनार पौधों की संख्या 78, बगीचा स्थापना वर्ष 2009 का कुल मुआवजा 8,90,760/– रूपये भुगतान करने की शिफारिश की गई है।

इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के आदेश की पालना में ही उक्त दोनों रिपोर्ट तैयार की गई है, जिनमें पौधों की संख्या एवं राशि में भिन्नता है। चूंकि सक्षम प्राधिकारी के आदेश क्रमांक/भूमि अवाप्ति/2015/660 दिनांक 27.04.2015 की पालना में दिनांक 06.06.2015 को 13,19,300/– रू0 कीमत आंकी गई है जो रामकिशोर मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान विभाग व डॉ0 बी.जी. छीपा, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र, भीलवाड़ा द्वारा तैयार की गई है, लेकिन बाद में दिनांक 20.09.2017 को 6 अधिकारियों द्वारा अवलोकन कर 8,90,760/रू0 कीमत आंकी गई है। अतः मेरे विनम्र मत में छः अधिकारियों द्वारा अवलोकन उपरान्त तय की गई कीमत 8,90,760 रू0 उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मात्र 79,000/– कीमत आंकना किसी प्रकार से न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव–

आदेश

अतः परिवादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा पारित अवार्ड पत्रावली/एन.एच.148डी/क्रमांक 1707 दिनांक 17.06.2013/दिनांक 18.04.2016 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आदेश क्रमांक/भूमि अवाप्ति/2015/660/27.04.2015 की पालना में दिनांक 20.09.2017 को फलदार पौधों की आंकी गई कीमत अनुसार अविलम्ब प्रतिकर निर्धारण कर मुआवजा राशि प्रार्थी को शीघ्रताशीघ्र अदा करें। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड अधिनस्थ न्यायालय को लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर